

उपमहाप्रबन्धक (प्रचालन क्षेत्र)

कार्यालय महाप्रबन्धक व्यावसायिक क्षेत्र
सी टी ओ कम्पाउण्ड शहजादी मण्डी

आगरा (उ प्र)-282001

दूरभाष स 0562-2226988, फ़ैक्स स 0562-2225100



भारत सन्चार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पत्र सं० : AGBA/Forest permission/Akola/2022-23/

दिनांक: 16.01.2023

सेवा में

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग,

आगरा।

विषय : जनपद आगरा में आगरा-जगनेर-तांतपुर मार्ग (एस० एच० -39) के किमी चैनेज 205.000 से 220.873 के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर 15.873 किमी लम्बाई में भारत संचार निगम लिमिटेड आगरा द्वारा प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने में कुल 0.4762 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं० FP/UP/OFC/153034/2022)

सन्दर्भ: आपका पत्रांक: 3262/14-1 आगरा: दिनांक: 26-12-2022.

महोदय ,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में विषयगत प्रकरण में लगाई गयीं आपत्तियों का बिन्दुवार निस्तारण निम्नलिखित है :-

1. वन निभाग से सम्बंधित ।
2. वन निभाग से सम्बंधित ।
3. वन निभाग से सम्बंधित ।
4. भू-स्वामित्व वाले विभाग के आर० ओ० डब्लू० का ले आउट प्लान संलग्न है।
5. भू-स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
6. वन निभाग से सम्बंधित ।
7. वन निभाग से सम्बंधित ।
8. वन निभाग से सम्बंधित ।
9. सम्बंधित प्रमाण पत्र संलग्न है ।
10. वन निभाग से सम्बंधित ।


प्रशासक वानिकी प्रमाण
सामाजिक वानिकी
आगरा



ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan, Agra-282001

(उपमहाप्रबन्धक (प्रचालन क्षेत्र)

कार्यालय महाप्रबन्धक व्यावसायिक क्षेत्र

सी टी ओ कम्पाउण्ड शहजादी मण्डी

आगरा (उ प्र)-282001

दूरभाष स 0562-2226988, फ़ैक्स स 0562-2225100



भारत सन्चार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

विषय : जनपद आगरा में आगरा-जगनेर-तांतपुर मार्ग (एस० एच० -39) के किमी चैनेज 205.000 से 220.873 के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर 15.873 किमी लम्बाई में भारत संचार निगम लिमिटेड आगरा द्वारा प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने में कुल 0.4762 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं० FP/UP/OFC/153034/2022)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के पत्रांक सं०- एफ न०- 11-268/2014 एफ० सी० दिनांक 11.07.2014 व पत्रांक सं०- एफ० सी० 11/118/2021- एफ० सी० दिनांक 29.06.2022 (एफ० सी० रूल -2022, गज़ट नोटिफाईड, दिनांक 28.06.2022) व पत्रांक सं० - एफ० सी० 11/43/2022- एफ० सी० दिनांक 22.08.2022 एवं नवीनतम दिशा निर्देश सं० एफ० सी० 11/118/2021- एफ० सी० दिनांक 14.1.2022 तथा सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक सं० 3337/81-2-2022-600(60)/2000 दिनांक-07.12.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक सं०- 1955/11- सी० लखनऊ दिनांक-09.12.2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया है।

Arvind Kumar

ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan, Agra-282001

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, आगरा

दिनांक- 13/01/23

पत्रांक 114/8m67
सेवा में

DE(Transmission/NOFN)
O/o DGM Transmissino,
Operational Area Agra.

Subject:-

Request for no objection certificate of laying optical fibre cable under NOFN project (AGovt of India Project) in akola as per attached diagram

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक AGTD/DE (NOFN)/ROW/2016-17 DT.03-01-2023

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा आपने बी0एस0एन0एल0 की केबिल डालने हेतु इस खण्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया है। उक्त कार्य नि0ख0-2, लो0नि0वि0, आगरा के सी0ए0टी0के0 मार्ग (कुल लम्बाई- 70.03 कि0मी0, यूनिट कोड-151261 राज्य मार्ग-39) के कि0मी0-205 से 222 एवं 255 से 274 तक पटरी के किनारे बी0एस0एन0एल0 की फाइबर केबिल की लाइन डालने हेतु एच0डी0डी0 विधि द्वारा शासनादेश संख्या 59/78-1-2014-81इले0/98 दिनांक 20 जनवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-880/78-1-2013-81इले0/98 दिनांक 19 सितम्बर 2013 के क्रम में अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है

बी0एस0एन0एल0 कं0 द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तें

1. आप द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र के अनुसार जनपद आगरा में सी0ए0टी0के0 के कि0मी0-205 से 222 एवं 255 से 274 मार्ग के सहारे भूमिगत बी0एस0एन0एल0 की लाइन डालने का कार्य लेपित सतह के किराने से न्यूनतम 3.00 मी0 दूरी पर भूमितल से 1.80 मी0 या इससे अधिक गहराई पर करना होगा।
2. बी0एस0एन0एल0 कम्पनी को शासनादेश संख्या 59/78-1-2014-81इले0/98 दिनांक 20 जनवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-880/78-1-2013-81इले0/98 दिनांक 19 सितम्बर 2013 का अक्षरसः अनुपालन करना आवश्यक होगा।
3. भविष्य में उपरोक्त मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण/मरम्मत के कार्य कराये जाने के फलस्वरूप यदि बी0एस0एन0एल0 की लाइन डालने में कुछ कमी आती है। तो आपकी कम्पनी द्वारा उक्त कमी को स्वयं के खर्च पर ठीक करानी होगी।
4. कार्य कराते समय यातायात के संचालन में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए एवं कार्यस्थल पर सुरक्षित यातायात व्यवस्था आपकी कम्पनी द्वारा स्वयं के खर्च पर की जायेगी। मार्ग पर किसी भी दुर्घटना एवं जनहानी के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
5. मार्ग की पटरी के किनारे बी0एस0एन0एल0 की लाइन डालने के उपरान्त लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार स्वयं के खर्च पर उक्त मार्ग को पूर्व की स्थिति में लाना आपकी कम्पनी का उत्तरदायित्व होगा।
6. अन्य विभागों से प्राप्त एन0ओ0सी0 की प्रतिलिपि निर्माण खण्ड-2 लो0नि0वि0, आगरा में जमा की जायेगी। किसी भी विभाग से आपत्ति होने पर उसका निराकरण स्वयं आपको करना होगा।
7. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल इस खण्ड के स्वामित्व के मार्ग पर ही मान्य होगी, अन्य किसी भी विभाग के स्वामित्व के मार्ग पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
8. मार्ग की पटरी के किनारे बी0एस0एन0एल0 की लाइन डालने में अन्य विभागों/कम्पनियों की लाइन की क्षति अथवा शिफ्टिंग का कार्य आपको बिना क्षति पहुँचाये स्वयं के खर्च पर करना होगा।
9. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से केवल तीन माह की अवधि तक ही मान्य होगा।
10. किसी भी परिस्थिति में बी0एस0एन0एल0 की लाइन डालने पर मार्ग के कैरिजवे की चौड़ाई में कमी अस्वीकार होगी।
11. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र न्यायालय कार्य हेतु मान्य नहीं है।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

प्रतिलिपि-

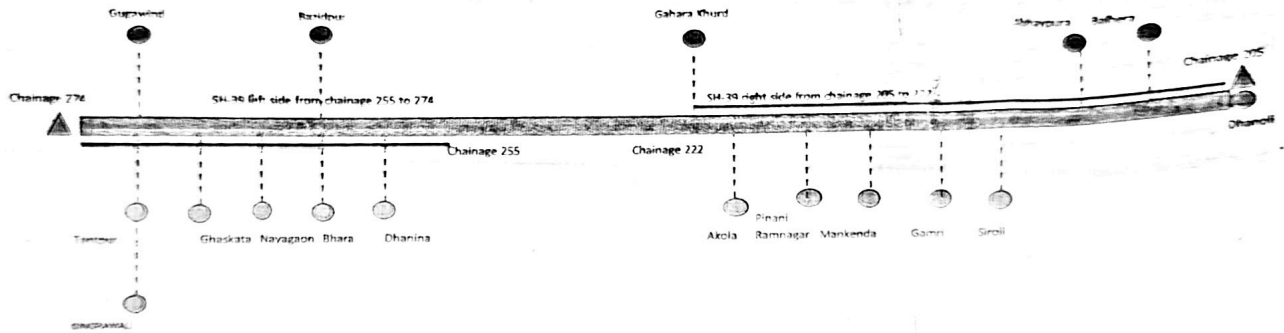
1. सहायक अभियन्ता प्रथम व चतुर्थ, नि0ख0-2, लो0नि0वि0, आगरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी अवर अभियन्ता, नि0ख0-2, लो0नि0वि0, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. एन0ओ0सी0 सहायक, नि0ख0-2, लो0नि0वि0, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

E/S.V. AE IV


ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan, Agra-282001

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0-2, लो0नि0वि0, आगरा

LAYOUT PLAN FOR LAYING OPTICAL FIBER CABLE ALONG SH-39
CABLE PROPOSED IS SHOWN BY ———



[Signature]
SDE (NOFN)
Agra

[Signature]
ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan, Agra-202001

[Signature]
DGM (Trans)
BSNL, Agra

[Signature]
निर्माण खण्ड - 2, लो. नि. वि.
आगरा